भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 5
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत विमानपत्तनों और हवाई पट्टियों का विकास

5 श्री आर. धरमार:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ान योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न स्थानों पर विमानपत्तनों और हवाई पट्टियों का विकास और विस्तार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु राज्य सहित देशभर में उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित/विस्तारित/नवीनीकृत विमानपत्तनों और निर्माण हेतु प्रस्तावित नए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु राज्य में विगत पाँच वर्षों के दौरान उड़ान योजना के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) एक बाजार आधारित योजना है, जिसमें अधिक गंतव्यों और मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली दौर आयोजित किए जाते हैं। विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर, इच्छुक एयरलाइनें उड़ान योजना के तहत बोली लगाने के समय हवाईअड्डों को शामिल करने के अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। एक वैध बोली के माध्यम से चिह्नित किए जाने और चयनित एयरलाइन ऑपरेटर (एसएओ) को अवार्ड किए जाने के बाद असेवित और अल्पसेवित हवाईपट्टियों का पुनरुद्धार/उन्नयन शुरू किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत, देशभर में 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 637 आरसीएस मार्गों को कार्यशील किया गया है।

सरकार ने हाल ही में 120 नए गंतव्यों के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है।

तमिलनाडु में, विकास और आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए चार हवाईअड्डों अर्थात सलेम, वेल्लोर, नेयवेली और तंजौर की पहचान की गई है।

(ग) : पिछले पाँच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में उड़ान योजना के अंतर्गत 99.13 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित और उपयोग में लायी गई है।

(घ) : किसी हवाईअड्डा परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा, संबंधित हवाईअड्डा विकासकर्ता द्वारा विभिन्न कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंज़ूरियां, बाधाओं को दूर करना, वित्तीय समापन, आदि को पूरा करने पर निर्भर करती है।

******